प्रश्न सं. [क. 171]

परिशिष्ट का प्रपत्र

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 171
प्रश्नांश "क" की जानकारी

बैठक दिनांक 28.07.2025 द्वारा- माननीय सदस्य डॉ.हिरालाल अलावा

धारा 48 (3) (ए/क) प्राथमिक सोसाइटी के संचालक मण्डल में -

(एक) जिसमें आधे या आधे से अधिक सदस्य अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के हो,कुल स्थानों के आधे स्थान,ऐसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के सदस्यों के लिये,उसी अनुपात में आरक्षित रखे जायेंगे,जो की अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो को प्राप्त है,किन्तु किसी भी दशा में स्थानों का कुल आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(दो) जिसमें एक चौथाई या एक चौथाई से अधिक, किन्तु आधे से कम सदस्य अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियोंऔर अन्य पिछडे वर्गो के हैं,तीन स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों और पिछडे वर्गो के सदस्यों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे; जिनमें से प्रत्येक एक स्थान प्रत्येक वर्ग के लिये आरक्षित रखा जायेगा;

(तीन) जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के सदस्यों की संख्या सदस्यों की कुल संख्या के एक चौथाई से कम है,एक स्थान ऐसी जातियों,जनजातियों और अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों के लिये आरक्षित रखा जायेगा, जिसके सदस्य सोसाइटी में अधिक संख्या में हों;

(चार) जो अनुसूचित क्षेत्र में काम कर रही है, अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के रूप में उसी अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी जो किसी सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या के साथ है ।

(आयुक्त,सहकारिता द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग